भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4822

31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

आउटसोर्सिंग में विशेषज्ञता

4822. श्री एम. सेल्वराज:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास स्वदेशी आउटसोर्सिंग विशेषज्ञता का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन निजी एजेंसियों के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उनके द्वारा क्या काम किए गए हैं;

(घ) उन पर कितना व्यय हुआ है; और

(ड.) उक्त आउटसोर्सिंग के क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ड.): सामान्य वित्त नियम 2017 (जीएफआर 2017) केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर कतिपय सेवाओं को आउटसोर्स करने की अनुमति देते हैं। चूंकि मंत्रालय और उसके कार्यालय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम हैं, अतः इस संबंध में केंद्रीकृत डेटा नहीं रखा जाता है।

*****